निवेशकों, उद्यमियों व उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु शुरू हुआ समाधान दिवस

- *साप्ताहिक रूप से प्रत्येक गुरूवार को आयोजित किया जाएगा*
- *लगभग 80 प्रकरणों का समाधान किया गया*
- *सरकारी विभागों को समयबद्ध रूप से निर्णयों को लागू करना होगा*

लखनऊ, 16 अक्टूबर 2014:

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत उद्योगों से संबंधित समस्याओं व प्रकरणों के त्वरित निराकरण व नियमित अनुश्रवण हेतु मा. मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार 'उद्योग बन्धु' द्वारा प्रथम समाधान दिवस का आयोजन आज पिकप भवन में किया गया।

उद्योग बन्धु के अधिशासी निदेशक व प्रमुख सचिव– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री संजीव सरन ने बताया कि **'समाधान दिवस' व्यवस्था** के अन्तर्गत मा. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के कार्यालयों में व ईमेल से प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार तक प्राप्त होने वाले उद्योगों के प्रस्तावों, सन्दर्भों या जिज्ञासाओं को अगले बृहस्पतिवार को समाधान दिवस में संबंधित निवेशकों या उद्योगपतियों को आमंत्रित कर निराकरण किया जाएगा। इसमें संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष व नोडल अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा।

प्रथम समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सचिव– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री संजीव सरन ने कहा– "औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार आवश्यकतानुसार प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर रही है तथा बाधायें दूर करने के लिए भी प्रयासरत् है, साप्ताहिक **समाधान दिवस** आयोजित करने का निर्णय इसी दिशा में नियमित व त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।" **उन्होंने कहा कि** जो विभाग इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को समय से लागू नहीं करेंगे उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों कि विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

आज समाधान दिवस में प्रदेश के उद्यमियों के विभिन्न क्षेत्रों व सरकारी विभागों से सम्बन्धित प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। बैठकों में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय प्रतिभाग किया।

अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया, जिसमें उद्योगों पर लागू गृह कर की दर, प्रदूषण, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, उ. प्र. औद्योगिक विकास निगम के भूखण्डों से संबंधित प्रकरण, वाणिज्य कर, आबकारी, मण्डी आदि शामिल हैं।

लगभग **80 प्रकरणों का समाधान किया गया,** जिसमें प्रमुख रूप से **मुजफ्फरनगर की 38 औद्योगिक इकाइयों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 2 विद्युत पोषकों को उ. प्र. पावर कॉर्पोरेशन द्वारा औद्योगिक फीडर घोषित किया गया** तथा निवेश–मित्र व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न मण्डलों के **उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित 37 प्रकरणों में अनापत्ति–प्रमाण पत्र जारी कराये गए**। इसी प्रकार **अग्नि शमन विभाग से संबंधित 4 प्रकरणों का समाधान** किया गया। उद्योग निदेशालय के औद्योगिक भूखण्डों की लीज़–डीड तुरन्त जारी कराने के लिए प्रमुख सचिव ने देवरिया व हरदोई के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए।

उद्योग बन्धु द्वारा अपनाई जा रही नई कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए **सीआईआई के प्रतिनिधि, श्री आलोक शुक्ला ने कहा** कि उद्योगों की समस्यों के निराकरण के लिए इस प्रकार की साप्ताहिक बैठकों का कराया जाना स्वागत योग्य है, तथा वे सीसीआई के सदस्य उद्यमियों की जानकारी हेतु समाधान दिवस का व्यापक प्रचार अपने न्यूज़लेटर के माध्यम से भी करायेंगे।

उद्योग बन्धु की **संयुक्त अधिशासी निदेशक– सुश्री कंचन वर्मा** ने सूचित किया कि कुछ नीति–विषयक प्रकरणों को मुख्य सचिव स्तर पर विचारार्थ प्रस्तुत कर निस्तारण किया जाएगा।